जिला–मधुबनी **दिनांक–06.04.2026**

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 590 / 2010
साधारण पंजी वाद संख्या–308 / 2010
भैरवस्थान थाना कांड संख्या–22 / 2010

राज्य द्वारा गौड़ी देवी पति स्व0 हीरालाल यादव साकिन ग्राम–लोहना, थाना–भैरवस्थान, जिला मधुबनी।

..... अभियोजन।

बनाम

01. जवाहर यादव पिता–स्व0 कपलेश्वर यादव (उम्र लगभग–70 वर्ष)

02. सोनिया देवी पति–जवाहर यादव (उम्र लगभग–65 वर्ष)

साकिनान लोहना, थाना–भैरवस्थान, जिला–मधुबनी।

..... अभियुक्तगण।

अपराध की तिथि:–28.03.2010

प्राथमिकी की तिथि:–28.03.2010

आरोप पत्र की तिथि:–21.09.2010

संज्ञान की तिथि:–30.09.2010

दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–02.11.2010

आरोप गठन की तिथि:–14.12.2010

साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–06.01.2011

अभियोजन साक्ष्य बन्द– 30.09.2024

बयान अंतर्गत धारा 313 दप्रस– 24.10.2024

सफाई साक्ष्य– इंकार (Declined)

बहस पूर्ण– 24.03.2026

निर्णय की तिथि:–06.04.2026

सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ईन्द्रकांत प्रसाद (सहायक लोक अभियोजक)

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री परशुराम मिश्र (अधिवक्ता)

निर्णय तिथि–06.04.2026

उपस्थित : सुशील कुमार दीक्षित,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 342, 323, 307, 354 / 34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया है, जिससे इंकार करते हुए अभियुक्तगण ने वाद विचारण की मॉग की है। आदेश दिनांक

लगातार

03.08.2019 के अनुसार इस वाद के सह–अभियुक्त सुनरी देवी उर्फ सुंदरी देवी की मृत्युपरांत उनके नाम को इस वाद से विलोपित किया गया।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार यह है कि प्रस्तुत वाद की सूचिका गौड़ी देवी ने एक फर्दबयान भैरवस्थान थानाध्यक्ष के समक्ष दिनांक 28.03.2010 को प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि दिनांक 28.03.2010 समय 6 बजे वह अपने आंगन में अन्य दिनों की भांति काम कर रही थी कि उसके भैंसुर जवाहर यादव, उसकी सास सुनरी देवी, उसकी गोतनी सोनिया देवी एवं विजय यादव उसके आंगन में हरवे हथियार लेकर आया एवं आंगन की मिट्टी काटने लगा। इसपर वह बोली क्यों मेरे आंगन की मिट्टी काट रहे है? इसपर जवाहर यादव बोला सम्पत्ति छोड़कर चली जाओ नही तो जान से मार देंगे। वह बोली कि वह नही जायेंगी इस सम्पत्ति को छोड़कर। इसपर जवाहर यादव यह कहते हुये कि जान से मार दो साली को एवं जान मारने की नीयत से भाला से गर्दन पर वार किया जो ओठ को चीरते हुये बाहर फिसल गया। इतने में बिजय यादव बाल पकड़कर पटक दिया एवं उसकी साड़ी खींच दिया साथ ही चोली फाड़ दिया तथा उसकी सास एवं गोतनी सभी मिलकर ईट, डंडा से बुरी तरह मारने लगे। घटना को देखकर अगल–बगल के लोग आये तो मुदालहगण भाग गये। जवाहर यादव उसके गले से एक पाव का चॉदी का हसुली खींचकर भाग गया।

03. सूचिका के उक्त फर्दबयान के आधार पर थाना भैरवस्थान थाना कांड संख्या 22 / 2010 दिनांक 28.03.2010 अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा– 341, 342, 323, 307, 379, 354 / 34 के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात् आरोपगठन के पश्चात् विचारण की कार्रवाई की गई।

04. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्तों का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0 अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तों ने स्वंय को पुनः निर्दोष बताया है तथा अभियोजन कथानक जैसी घटना में स्वंय के शामिल होने से इंकार किये है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है। तत्पश्चात् उभय पक्षों द्वारा बहस पूर्ण किया गया।

05. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों की छाया से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत वाद में कुल 05 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिन्हें मुख्य परीक्षण के उपरान्त प्रतिपरीक्षित कर साक्ष्य भार से मुक्त किया गया है। उक्त अभियोजन साक्षी निम्न प्रकार हैंः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 :– वासुदेव यादव,
अभियोजन साक्षी संख्या 02 :– हनुमान साह,
अभियोजन साक्षी संख्या 03 :– शिवजी यादव,
अभियोजन साक्षी संख्या 04 :– मिठ्ठु साहू एवं
अभियोजन साक्षी संख्या 05 :– गौड़ी देवी (सूचिका)

लगातार

जहॉ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। उक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

07. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया है।

08. अब मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत इस वाद की सूचिका जो साक्षी संख्या–5 के रूप में प्रस्तुत हुयी हैं, के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूॅगा। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में बतायी है कि वह इस वाद की सूचिका है। घटना 1 साल 9 माह पूर्व सुबह की है। वह अपने आंगन में थी तो जवाहर यादव, सोनिया देवी, सुनरी देवी, विजय यादव मुदालह कुदाल, डंडा एवं भाला लेकर उसके आंगन में आये तथा उसके आंगन से जवाहर यादव मिट्टी काटना शुरू किया। उसके मना करने पर जवाहर यादव गर्दन पर भाला से प्रहार किया जो बांये ओठ पर लगा। विजय यादव बाल पकड़कर पटक दिया, साड़ी खींचकर बेनग्न किया तथा साड़ी फाड़ दिया। सोनिया देवी एवं सुन्दरी देवी रोड़ा पत्थर से मारपीट की। जवाहर यादव 250 ग्राम चॉदी का हुसली छीन लिया जिसकी मूल्य 1500/– रूपया होगी। इसके बाद उसका ईलाज झंझारपुर सरकारी अस्पताल में हुआ।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि घटना से पूर्व जवाहर यादव अभियुक्त श्वसुर, भैंसुर एवं देवर तथा अन्य परिवार के सदस्यों पर मुकदमा किये हुये है, इस मुकदमा से 2/3 माह पूर्व मुकदमा किये थे। इस मुकदमा में उपरोक्त लोग जेल गये थे। सब आदमी एक ही दिन जेल गये थे। ये लोग करीब एक माह तक जेल में रहे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसे मालूम नही है कि जिस दिन मुकदमा की उस दिन वे लोग जेल मे थे या नही। जवाहर यादव द्वारा किया गया मुकदमा मधुबनी व्यवहार न्यायालय में लंबित है। उसे नही मालूम की मधुबनी वाले मुकदमे में उसके ससुर लोग जेल गये थे या नही। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके परिवार एवं जवाहर यादव अभियुक्त के बीच 7/8 मुकदमा चलता है। वे लोग 4/5 मुकदमा किये है। उसके एवं जवाहर यादव के बीच जमीन का झगड़ा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि वह नही जानती की घटना से कितने दिन पूर्व जमीन का झगड़ा चल रहा है। जिस जमीन का झगड़ा है, नही जानती। कितने कट्ठे जमीन का झगड़ा है, नही जानती। *प्रस्तुत मामले में साक्षी का कथन है कि जमीन का झगड़ा कौन करता है उसे नही मालूम, कितना आदमी मारपीट किया, वह भी नही मालूम। जमीन का झगड़ा घटना के दिन या घटना से पहले हुआ, नही मालूम है। मारपीट कहॉ पर लगा, नही मालूम है। कितना आदमी मारपीट किया, नही मालूम है। मारपीट की चौहद्दी नही कह सकती। वह नही देखी की वहॉ कौन कौन था। किस चीज से मारपीट किया गया, नही मालूम है। वह कुछ भी नही देखी।*

09. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या–1 वासुदेव यादव प्रस्तुत हुये है, ने अपने मुख्य परीक्षण में अंदाज से कथित घटना को सवा साल पूर्व की सुबह 6 बजे की बताते हुये कथन किया है कि हल्ला सुनकर वह सूचिका के दरवाजे पर गया जहॉ अभियुक्त जवाहर यादव मिट्टी काट रहा था, मना करने पर जवाहर यादव उसे भाला से कंठ पर मारना चाहा जो उसके ओंठ पर लगा तथा उसके गले से चांदी का हसुली भी छीन लिया तथा सुन्दरी देवी ईंटा पत्थर से मारपीट किया। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि सूचिका उसकी समधिन है तथा जवाहर यादव भी उसपर हत्या के प्रयास का मुकदमा किया था जिसमें वह चौदह दिनों तक जेल भी गया था तथा प्रस्तुत साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की इसी कंडिका में थाना पर बयान नही होने की भी बयान कही है तथा आज से पूर्व अन्य कहीं बयान नही होने की बात बतायी है। प्रस्तुत साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया तो उसकी समधिनी यानी सूचिका के ओंठ से खून गिरते देखा, वह गिरी

हुयी थी तथा बेहोश थी। इस प्रकार प्रस्तुत साक्षी के प्रतिपरीक्षण के उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत साक्षी के घटनास्थल पर पहुॅचने से पहले ही घटना हो चुकी थी तथा साक्षी कथित मारपीट की घटना होने के उपरांत घटनास्थल पर पहुॅचे।

10. प्रस्तुत वाद में अभियोजन साक्षी संख्या–2 के रूप में हनुमान साह प्रस्तुत हुये है, इन्होनें भी अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में अंदाज से कथित घटना को 1 साल 4 माह पूर्व सुबह 6 बजे की बताते हुये कहा है कि वह उस समय अपने घर के दरवाजे पर था। सूचिका ने जब अभियुक्त जवाहर यादव को मिट्टी काटने से मना किया तो अभियुक्त जवाहर यादव ने उसे जान मारने की नीयत से भाला फेंका, भाला गर्दन पर चलाया जो ओंठ पर लगा जिससे वह जख्मी हो गयी। अन्य अभियुक्त विजय यादव ने जो अभियुक्त जवाहर यादव का दमाद है बाल पकड़कर घसींटा तथा साड़ी खींच दिया और ब्लाउज फाड़ दिया। अभियुक्त सुन्दरी देवी एवं अन्य ईंटा रोड़ा फेंककर सूचिका को जख्मी कर दिया।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में बताया है कि उसका तथा जवाहर यादव के बीच दो मुकदमें चलते है तथा विवादित जमीन का खाता, खेसरा, रकवा व चौहद्दी नही बता सकता है। उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कंडिका–7 में कहना है कि जब वह घटनास्थल पर पहुॅचा तो उसने सूचिका को जमीन पर गिरा हुआ बेहोश देखा जिसके ओंठ से खून निकल रहा था, वह उसे अस्पताल नही ले गया। उसके समधी उसे अस्पताल ले गये। जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत साक्षी कथित घटना के घ टने के समय वहॉ उपस्थित नही था, अपितु मारपीट एवं चोट लगने के उपरांत घटनास्थल पर पहुॅचा क्योंकि जब वह कथनानुसार घटनास्थल पर पहुॅचा तो सूचिका को बेहोश अवस्था में गिरा हुआ देखा। उक्त साक्षी तथा अभियुक्त के बीच जमीन को लेकर पूर्व से दुश्मनी व झगड़ा है जिसके कारण उभय पक्षों के बीच मुकदमेबाजी भी है।

11. प्रस्तुत वाद में अब मै अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–3 शिवजी यादव के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूॅगा। उक्त साक्षी ने कथित घटना की तिथि, समय व स्थान को स्पष्ट रूप से न कहते हुये अंदाज से घटना को एक साल पूर्व सुबह की बताते हुये कथन किया है कि घटना के समय वह अपने दलान पर था। हल्ला पर जवाहर यादव के घर पर देखा कि सूचिका व जवाहर यादव के बीच झंझट हो रहा था। सूचिका द्वारा मिट्टी काटने का विरोध करने पर अभियुक्त जवाहर यादव भाला चलाया जो सूचिका के ओंठ पर लगा तथा जवाहर यादव की पत्नी व मॉ ईंटा, पत्थर चलाया तथा जवाहर यादव का दामाद गौड़ी देवी का ब्लाउज फाड़ दिया। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में सूचिका के जख्मी होकर, बेहोश होकर गिर जाने एवं उसके गले से चॉदी का हसुली वगैरह ले लेने की बात का समर्थन नही किया है और न ही इस संबंध में अभिकथन किया है।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में सूचिका को अपनी फुफेरी बहन बताया है तथा अपने घर को सूचिका के घर से एक किलोमीटर दूर होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसके बाद हनुमान साह, वासुदेव साह एवं मिठ्ठु साह उसके आने के बाद वहॉ आये। इस प्रकार प्रस्तुत साक्षी भी सूचिका के रिश्तेदार एवं हितबद्ध साक्षी है तथा कथित मारपीट घटना घटने के बाद घटनास्थल पर पहुॅचे जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नही है तथा कथित घटना के घटित होने के उपरांत घटनास्थल पर पहुॅचे।

12. अब मै अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या–4 मिठ्ठु साह के साक्ष्य का विवेचन करना चाहुॅगा। उक्त साक्षी ने भी मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में अंदाज से कथित घटना को डेढ साल पूर्व सुबह 6 बजे की बताते हुये कहा है कि उस समय वह घर पर था, हल्ला सुनकर वहॉ गया तो देखा कि अभियुक्तगण को मिट्टी काटने से सूचिका द्वारा मना करने पर जवाहर यादव उसपर भाला फेंक

दिया जो सूचिका के ओंठ पर लगा तथा वह जमीन पर गिर गयी तो उसके गले से चॉदी का हसुली जवाहर यादव खींच लिया। विजय यादव ने उसका बाल पकड़कर धक्का दिया तथा उसका ब्लाउज भी फाड़ दिया तथा औरते ईंटा पत्थर से सूचिका पर प्रहार किया।

प्रस्तुत साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह अभी जमानत पर है तथा उक्त मुकदमा वासुदेव यादव ने किया है तथा वह जवाहर के आंगन पर नही गया जबकि कथित घटना जवाहर यादव के आंगन में घटित हुयी। स्वयं साक्षी संख्या–3 शिवजी यादव ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में बताया है कि सूचिका उस समय जवाहर के आंगन पर गिरी हुयी थी जबकि प्रस्तुत साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में कहा है कि हमलोग जवाहर के आंगन में नही गये, जिससे इनके वहॉ उपस्थित होने के संबंध में विरोधाभाष उत्पन्न होता है। उक्त साक्षी ने सूचिका का ईलाज किस अस्पताल में कहॉ हुआ जानकारी नही होने की बात बतायी है।

13. इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों के साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षो के बीच जमीन संबंधी विवाद है जिसके कारण उभय पक्षो के बीच वैमनश्य व मुकदमेबाजी है जिसके कारण उभय पक्षो के बीच कई मुकदमे चल रहे है। प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी है तथा साक्षियों व अभियुक्तगणों के बीच मुकदमें लंबित है तथा किसी भी साक्षी ने कथित घटना की स्पष्ट तिथि का उल्लेख नही किया है। साक्षी संख्या–1 सूचिका के समधी है जो अभियुक्त जवाहर यादव द्वारा किये गये मुकदमा में जेल भी जा चुके है। साक्षी संख्या–2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त जवाहर यादव के साथ दो मुकदमा चलता है जिससे स्पष्ट होता है कि यह स्वतंत्र साक्षी नही है। साक्षी संख्या–3 ने कथित घटना की तिथि, समय व स्थान का स्पष्ट समर्थन नही किया है तथा घटना के एक साल पूर्व सुबह की बताते हुये जैसा अभियोजन कथानक है उसका समर्थन नही किया है एवं सूचिका स्वयं की फुफेरी बहन होने की बात बतायी है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्षी भी हितबद्ध साक्षी है। साक्षी संख्या–4 ने भी कथित घटना की तिथि का उल्लेख नही किया है जबकि प्रस्तुत साक्षी पढे–लिखे है तथा स्वयं साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–5 में बताया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुॅचा तो वह पीठ के बल गिरी हुयी थी तथा ओंठ से खून निकल रहा था, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी के घटनास्थल पर पहुॅचने से पहले ही कथित घटना हो चुकी थी। जहॉ तक प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत जख्मी सूचिका के साक्ष्य का प्रश्न है, उक्त साक्षी का साक्ष्य मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभाषी है जिससे मामले की सत्यता व विश्वसनीयता प्रभावित होती है। प्रस्तुत सूचिका साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के समय वह अपने आंगन में थी जबकि अन्य साक्षियों का कहना है कि वह अभियुक्त जवाहर यादव के घर पर थी। स्वयं सूचिका साक्षी ने कहा है कि उसका ईलाज झंझारपुर सरकारी अस्पताल में हुआ किन्तु अभियोजन की ओर से किसी भी प्रकार के जख्म प्रतिवेदन को साबित नही किया गया है और न ही उसे प्रदर्श अंकित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से न तो अनुसंधानकर्ता साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हुये है और न ही चिकित्सक साक्षी को ही परीक्षित कराया गया है जिससे मामले की सत्यता व विश्वसनीयता संदेहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त स्वयं सूचिका साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–6 में कथन किया है कि जमीन का झगड़ा घटना के दिन या घटना से पहले हुआ उसे नही मालूम है तथा मारपीट कहॉ पर लगा नही मालूम है, कितना आदमी मारपीट किया नही मालूम है तथा मारपीट की घटना की चौहद्दी भी नही बता सकती, उसे किस चीज से मारपीट किया गया नही मालूम है तथा उसने कुछ नही देखा, ऐसा अभिकथन मामले को पूर्णरूप से संदेहास्पद बना देता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है तथा संदेह का लाभ अभियुक्तगण को मिलना ही चाहिए।

लगातार

14. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। फलःस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामित सभी अभियुक्तों को संदेह के आधार पर पर्याप्त व ठोस साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाकर दोषमुक्त करना उचित व न्यायसंगत समझता हूँ।

आ दे श

अभियुक्तगण **1. जवाहर यादव एवं 2. सोनिया देवी** को **भा0द0वि0 की धारा– 341, 342, 323, 307, 354 / 34** के आरोपों से पर्याप्त व ठोस साक्ष्य के अभाव में संदेह के आधार पर निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें व उनके प्रतिभूगणों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है तथा उन्हें स्वतंत्र किया जाता है।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(सुशील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
06.04.2026

लेखापित

(सुशील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
06.04.2026